हिन्दुस्तान 11-12-21

उत्तराखंड में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी

देहरादून | मुख्य संवाददाता

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने बताया है कि उत्तराखंड में तम्बाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है।

शुक्रवार को आयोजित एक कार्यशाला में बहुगुणा ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की रणनीति कारगर हो रही है। एक सर्वे के अनुसार 2016- 17 के दौरान उत्तराखण्ड में 43.6 प्रतिशत पुरुष और 9.3 प्रतिशत महिलाएं धूम्रपान कर रही थीं, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वे-5 के मुताबिक अब 33.7 प्रतिशत पुरुष और 4.6 प्रतिशत महिलाएं ही तम्बाकू सेवन कर रहे हैं। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रभारी अधिकारी डॉ. अर्चना पाण्डेय ने बताया कोविड महामारी के दौरान सिगरेट एवं तम्बाकू के सेवन से बचने की अति आवश्यकता है। विभाग राज्य के सभी 24 हजार विद्यालयों को आगामी तीन वर्षों में तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एम्स ऋषिकेश के एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रदीप अग्रवाल, डा. महेन्द्र गहलोत ने भी विचार व्यक्त किए।

अमर उजाला - 11-12-21

प्रदेश में धूम्रपान, तंबाकू खाने वालों की दर घटी

12 हजार स्कूल तंबाकू मुक्त परिसर किया गया घोषित

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में धूम्रपान और तंबाकू सेवन करने वाले पुरुष और महिलाओं की दर में कमी आई है। इसके अलावा 12 हजार स्कूलों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (एनएफएचएस) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने आगामी तीन वर्षों में 24 हजार स्कूलों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का लक्ष्य रखा है।

शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोटपा एक्ट पर आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने एनएफएचएस रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में धूम्रपान व तंबाकू सेवन करने वाले पुरुष 33.7 प्रतिशत और महिलाएं 4.6 प्रतिशत है। जबकि 2016-17 में पुरुषों की 43.6 प्रतिशत और महिलाओं की दर 9.3 प्रतिशत थी। प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की रणनीति कारगर साबित हो रही है।

महानिदेशक ने कहा कि राज्य में एक तिहाई वयस्क आबादी सार्वजनिक स्थलों पर किसी न किसी रूप में सेकेंड हैंड स्मोक के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ग्रसित हो रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के सेवन को रोकने के लिए कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रभारी अधिकारी डॉ. अर्चना पांडेय ने बताया कोविड महामारी में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचने की आवश्यकता है। विभाग की ओर से राज्य में शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने की रणनीति कार्य किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में राज्य के 12 हजार स्कूलों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित कर दिया गया है। तंबाकू मुक्त परिसर के लिए प्रत्येक विद्यालयों में तंबाकू के उपयोग व दुष्प्रभाव के बारे में एक जागरूकता डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है और विद्यालय से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बिक्री को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। अगले तीन सालों में 24 हजार विद्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप अग्रवाल व डॉ. महेंद्र गहलोथ ने कोटपा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस, शिक्षा, आबकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

Scanned with CamScanner

दैनिक जागरण - 11-12-21

नियंत्रण स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया, सख्ती से राज्य में तंबाकू सेवन में आई कमी

राज्य में 33.7% पुरुष कर रहे तंबाकू सेवन

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में 33.7 प्रतिशत पुरुष और 4.6 प्रतिशत महिलाएं धूमपान व तंबाकू का सेवन करती हैं। पूर्व में यह प्रतिशत अधिक था। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा तंबाकू नियंत्रण के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। साथ ही कोटपा अधिनियम का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यह रणनीति कारगर साबित हो रही है। यह कहना है कि स्वास्थ्य महानिदेशक डा. तृप्ति बहुगुणा का।

शुक्रवार को आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे 2016-17 के अनुसार राज्य में 43.5 प्रतिशत पुरुष और 9.3 प्रतिशत महिलाएं धूमपान व तंबाकू का सेवन करती थीं। यह संख्या अब कम हुई है। राज्य में एक तेहाई वयस्क आबादी सार्वजनिक स्थलों पर किसी न किसी रूप में सेकेंड हैंड स्मोक के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ग्रसित है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों व सरकारी कार्यालयों में

कार्यशाला

- राज्य में वर्तमान में 4.6% महिलाएं करती हैं तंबाकू सेवन
- पहले 43.5% पुरुष और 9.3% महिलाएं करती थीं तंबाकू सेवन

सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के सेवन को रोकने के लिए कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसका उल्लंघन करने वालों कर कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडित किया जा रहा है। सभी विभागों को इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए।

प्रभारी अधिकारी डा. अर्चना पांडेय ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान सिगरेट व तंबाकू के सेवन से बचने की आवश्यकता है। तंबाकू सेवन से जहां आमजनमानस में कोरोना संक्रमण की संभावना बढ़ती है, वहीं सेकेंड हैंड स्मोक से प्रभावित होने वाले लोग में संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो रही है। बताया कि स्वास्थ्य विभाग शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। पिछले दो साल में 12 हजार स्कूल को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया है।

विद्यालयों में तंबाकू के उपयोग व इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। विद्यालय के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की ब्रिकी पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है। कहा कि सभी 24 हजार विद्यालय को अगले तीन साल में तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स ऋषिकेश के एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रदीप अग्रवाल व डा. महेंद्र ने कोटपा अधिनियम की जानकारी दी। कार्यशाला में सेवा संस्थान, पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, न्याय विभाग, उच्च शिक्षा, आबकारी आदि विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें
www.jagran.com

Scanned with CamScanner

अमर उजाला (31-10-17)

शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने पर लगे रोक : बहुगुणा

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तंबाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और नियंत्रण के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक और शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

शनिवार को सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने की। उन्होंने कहा

तंबाकू पर नियंत्रण के लिए हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

कि युवाओं में तंबाकू का सेवन घातक है। इसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता लाने के साथ तंबाकू के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। निदेशक एनएचएम डॉ. सरोज नैथानी ने जिला व ब्लाक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में एम्स ऋषिकेश से डॉ. प्रदीप अग्रवाल, डॉ. महेंद्र सिंह, बालाजी सेवा संस्थान के अवधेश कुमार, एनएचएम के प्रभारी अधिकारी डॉ. अर्चना ओझा आदि मौजूद थे।

Scanned with CamScanner

दैनिक जागरण (31-10-21)

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन रोकें : डीजी

जागरण संवाददाता, देहरादून : स्वास्थ्य महानिदेशक डा. तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि तंबाकू का उपयोग युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत घातक है। जिसे रोकने के लिए व्यापक जागरूकता एवं इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है। यह बात उन्होंने शनिवार को सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में तंबाकू नियंत्रण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान कही।

डा. बहुगुणा ने तंबाकू नियंत्रण को राज्य में सफल बनाने के लिए समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू के सेवन व बिक्री रोकने के निर्देश दिए। साथ ही इसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों से

निर्धारित अर्थदंड वसूलने और चालान की गतिविधि को बढ़ाए जाने के लिए कहा। एनएचएम निदेशक डा. सरोज नैथानी ने वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण एवं वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड राज्य में तंबाकू सेवन की स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं, कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को निर्देशित किया कि जनपद व विकासखंड स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।

सभी चिकित्सा इकाइयों पर तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में आमजन को परामर्श दिया जाए। कार्यशाला में एम्स ऋषिकेश से डा. प्रदीप अग्रवाल, डा. महेंद्र सिंह, बालाजी सेवा संस्थान के अवधेष कुमार, द यूनियन के प्रशिक्षक एवं एनएचएम की प्रभारी अधिकारी डा. अर्चना ओझा उपस्थित थीं।

कार्यशाला

- **सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान में तंबाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन**
- **सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू के सेवन व बिक्री रोकने के निर्देश**

Scanned with CamScanner

दैनिक जागरण (13-10-2021)

थाना, कलक्ट्रेट और अस्पताल तंबाकू मुक्त होंगे घोषित

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रदेश के सभी थाना, कलक्ट्रेट और अस्पताल परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति रोकने को उचित कदम उठाए जाएं।

मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि तंबाकू सेवन से होने वाले घातक नुकसान से बच्चों को अवगत कराते हुए इससे बच्चों को दूर रखने के लगातार प्रयास किए जाएं। इसके लिए द सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आनलाइन कार्यक्रम चलाए जाएं। स्कूली छात्र व छात्राओं को वीडियो क्लिप के जरिये तंबाकू से होने वाले घातक परिणामों के बारे में अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का भी अध्ययन कराया जाए कि तंबाकू किस आयुवर्ग में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बैठक में अपर सचिव सोनिका व महानिदेशक स्वास्थ्य डा तृप्ति बहुगुणा भी उपस्थित थीं।

Scanned with CamScanner

दैनिक जागरण (01-10-2021)

चिंताजनक उत्तराखंड में 26.5 फीसद लोग कर रहे हैं तंबाकू उत्पादों का सेवन

नशे पर रोकथाम को हर स्तर पर प्रयास जरूरी

जागरण संवाददाता, देहरादून: युवाओं में नशे की लत तेजी से फैल रही है। उत्तराखंड में नशे के व्यापार का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने इसके खिलाफ आपरेशन मुक्ति भी शुरू किया है, लेकिन नशे पर रोकथाम के लिए हर स्तर पर जागरूकता एवं प्रयास होने जरूरी हैं। ये बातें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने तंबाकू पर रोकथाम को बालाजी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यशाला में कहीं।

उत्तराखंड राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल, इंटरनेशनल यूनियन एगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग्स डिजीज (द यूनियन) के सहयोग से बुधवार को बालाजी सेवा संस्थान ने तंबाकू निषेध पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राज्य में कोटपा एक्ट को पूरी तरह लागू करवाने के लिए प्रयास करना था। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक डा. प्रीती बहुगुणा, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन निदेशक डा. सरोज नैथानी ने किया।

सुभाष रोड स्थित एक होटल में कार्यशाला का दीप जलाकर उद्घाटन करते मुख्य अतिथि डीजीपी अशोक कुमार (बायें से दूसरे)। साथ में एनएचएम की निदेशक डा. सरोज नैथानी (बायें) और स्वास्थ्य महानिदेशक डा. तृप्ति बहुगुणा (दायें) ● जागरण

द यूनियन की ओर से डा. राणा जे सिंह ने कहा कि युवाओं में धूमपान की लत तेजी से फैल रही है, इस पर काबू करने के लिए प्रभावी नीति एवं कदम उठाना जरूरी है। डा. अमिता यादव ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष 70 लाख लोग तंबाकू जनित रोगों से मर रहे हैं, अकेले भारत में यह आंकड़ा 12 से 15 लाख के बीच है। उत्तराखंड में 26.5 फीसद लोग किसी न किसी प्रकार से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इस दौरान बालाजी सेवा संस्थान के कार्यपालक निदेशक अवधेश कुमार ने सभी स तंबाकू मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया।

◆◆◆◆◆

Scanned with CamScanner

दैनिक जागरण 30-05-2021

तंबाकू निषेध को व्यापक अभियान की दरकार

जागरण संवाददाता, देहरादून : तंबाकू सेवन से होने वाली हानियों और इनके दूरगामी दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। धूमपान करने वाला व्यक्ति अपने साथ आसपास के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर तंबाकू निषेध को लेकर आंदोलन चलाने की दरकार है। ये बातें विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेषज्ञों ने कहीं।

शनिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिगरेट व तंबाकू के सेवन व इससे आम जनमानस को होने वाली बीमारियों पर चर्चा के साथ ही तंबाकू सेवन से कोरोना संक्रमण में पैदा हो रही स्थिति पर मंथन किया गया। वेबिनार का संचालन राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभारी अधिकारी डॉ. अर्चना पांडे ओझा जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. सरोज नैथानी ने की। 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 43.6 प्रतिशत पुरुष और 9.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। वक्ताओं ने कहा कि कोटपा-2003 के तहत विगत वर्षों में

वेबिनार

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर हुए वेबिनार में झलकी चिंता
- वक्ताओं ने दिया जागरूकता अभियान चलाने पर जोर

की गई कार्रवाई के बावजूद तंबाकू के सेवन में कमी नहीं आ रही है। कोटपा-2003 के सफल क्रियान्वयन व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली हानियों को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग जरूरी है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तंबाकू उत्पादों के सेवन व बार-बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं सिगरेट के सेवन से हाथों से मुंह को बार-बार छूने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस उप महानिरीक्षक निलेश आनंद भरणे ने प्रदेश में तंबाकू उत्पादों के बढ़ते सेवन पर चिंता व्यक्त की। बताया कि पुलिस विभाग की ओर से कोटपा-2003 अधिनियम की धारा-4 के तहत विगत वर्ष से वर्तमान तक कुल 2255 व्यक्तियों का चालान किया गया, जिसमें 92860 रुपये जुर्माना वसूला गया। वेबिनार में स्वामी राम हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट के निदेशक डा. सुनील सैनी, डा. अनुराग अग्रवाल ने भी तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए।

Scanned with CamScanner

नौ फीसदी महिलाओं को धूम्रपान की लत

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में 9.3 प्रतिशत महिलाओं को धूम्रपान और तंबाकू उत्पाद की लत है। जबकि 43.6 प्रतिशत पुरुष धूम्रपान व तंबाकू का सेवन करते हैं। एक तिहाई वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर किसी अन्य व्यक्ति के धूम्रपान करने से अप्रत्यक्ष से ग्रसित हैं।

शनिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वेबिनार आयोजित किया गया। जिसमें धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारी व कोरोना संक्रमण की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वेबिनार का आयोजन

डॉ. सरोज नैथानी ने कहा कि वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वे उत्तराखंड के अनुसार प्रदेश में 9.3 प्रतिशत महिलाएं और 43.6 प्रतिशत पुरुष धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों को सेवन करते हैं। एक चौथाई वयस्क घरों व कार्यस्थलों पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धूम्रपान करते से ग्रसित हैं।

उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत विभागों को तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग का आग्रह किया है। कोटपा एक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ व जिला चिकित्सालय में तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक निलेश आनंद भरणे ने बताया कि पुलिस की ओर से कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीते वर्ष 2255 लोगों का चालान किया गया। जिसमें 92860 की राशि जुर्माने में वसूली गई। इस मौके पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभारी अधिकारी डॉ. अर्चना पांडे, हिमालयन हास्पिटल के डॉ. अनुराग अग्रवाल, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डॉ. मयंक बडोला समेत अन्य मौजूद थे।

Scanned with CamScanner